

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक-2/कोर्ट केस-16/2015 परि०,
शुद्धि-पत्र

1164
8/3/17

Email

विभागीय आदेश सं०-998 दिनांक-01.03.2017 इस विभाग द्वारा निर्गत किया गया है।
लिपिक भूल के कारण उपर्युक्त आदेश, प्रारूप रूप में ही निर्गत हो गया है।
उपर्युक्त आदेश को मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर पुनः उपलब्ध कराया जा
रहा है।

2. शेष यथावत रहेगा।

x 
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

ज्ञापांक-02 / कोर्टकेश-16 / 2015, परि0

पटना, दिनांक-

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-11888/15 श्रीवेन इन्फोकॉम लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक-30.10.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक-430 दिनांक-27.01.2016 एवं पत्रांक-1231 दिनांक-08.03.2016 द्वारा उक्त कंपनी को Show cause समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया था।

2. उपर्युक्त विभागीय आदेश के आलोक में कंपनी द्वारा Show cause के विरुद्ध अपना स्पष्टीकरण या Reply to show cause विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा विभागीय show cause में लगाये गये सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए निम्न बिन्दु उठाये गये हैं-

2.1 कंपनी द्वारा वर्ष 2008 से 2011 तक विभाग को सामग्री की आपूर्ति की गई थी, जिसकी चर्चा करते हुए अगले तीन वर्ष (2012 से 2015 तक) सामग्री आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा निविदा के माध्यम से उक्त कंपनी का चयन किया गया।

2.2 कंपनी द्वारा वर्ष 2012 से 2015 तक कोसी क्षेत्रीय जिलों यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल आदि एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कारण सामग्री आपूर्ति में होने वाले कठिनाईयों का जिक्र करते हुए सामग्री आपूर्ति में बाधा आने का कारण बताया गया।

2.3 उक्त कंपनी द्वारा विभिन्न जिला परिवहन कार्यालयों में बकाया राशि की सूची समर्पित करते हुए भुगतान ससमय नहीं होने को सामग्रियों की आपूर्ति में विलंब होने का कारण बताया गया।

3. कंपनी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण या Reply to show cause की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया गया, कि

3.1 कंपनी द्वारा इस विभाग को 2008 से 2011 के लिए भी कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य की आपूर्ति की गई थी, जिसकी अनुमान्य अवधि तीन वर्षों के लिए ही थी। विभाग द्वारा पुनः निविदा प्रकाशित की गई जिसमें उक्त कंपनी का Financial Bid सबसे कम पाया गया, जिस कारण उक्त कंपनी से पुनः उक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु दिनांक-24.02.2012 को तीन वर्षों के लिए एकरारनामा किया गया था। एकरारनामा की मान्य अवधि दिनांक-23.02.2015 तक थी। अतः विभाग द्वारा पुनः एकरारनामा का आधार कंपनी के outstanding आपूर्ति नहीं बल्कि Financial bid कम होना है।

3.2 उक्त कंपनी से सामग्री आपूर्ति हेतु आवश्यक शर्तों MU की कंडिका-2(B)- "The requisition for supply of materials shall be sent to the second party (supply company) by the respective DTO and RTA. The consumables shall be supplied within 15 days of placement of order", के आधार पर ही विभाग द्वारा एकरारनामा किया गया था। कंपनी द्वारा कार्ड एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति में नक्सल एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण आपूर्ति में बाधा आने की बात कही गयी है। कंपनी का यह कथन उचित नहीं है। ज्ञातव्य है कि बिहार राज्य के उत्तरी जिले यथा-सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एवं अन्य कोसी क्षेत्र वर्ष 2008 में बाढ़ से ग्रसित थे, परन्तु ये जिले मुख्यालय राज्य राजधानी से कभी कटे हुए नहीं थे। अतः आपूर्ति में कठिनाई का प्रश्न ही नहीं है। यह कथन कंपनी का एक बहाना मात्र है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

3.3 अनुसूची-I में वर्णित कंपनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति ससमय नहीं करने की शिकायतें विभिन्न जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त होने के उपरांत MU की कंडिका- 5(A)- "The first party (department) will have the writ to impose penalty or deduct payment in proportion to material not supplied as per specification or not supplied within stipulated time", के आलोक में इस विभाग के पत्रांक 3716 दिनांक 10.09.2012 द्वारा कंपनी को शीघ्र सामग्री का आपूर्ति करने का निदेश दिया गया एवं ससमय सामग्री की आपूर्ति नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3.4 कंपनी द्वारा उपयुक्त निदेश के आलोक में समुचित कार्रवाई नहीं करने के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 333 दिनांक 05.02.2013 द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी, साथ ही विभागीय पत्रांक 523 दिनांक 11.02.2013, पत्रांक 2806 दिनांक 03.07.2013, पत्रांक 4704 दिनांक 23.09.2013, पत्रांक 4827 दिनांक 26.09.2013, पत्रांक 205 दिनांक 10.01.2014 आदि पत्रों द्वारा कंपनी को ससमय सामग्री आपूर्ति करने हेतु निदेश दिया जाता रहा। फिर भी कंपनी द्वारा जिला परिवहन कार्यालयों को सामग्री की आपूर्ति ससमय नहीं किये जाने की सूचना प्राप्त होती रही। उस कारण जिला परिवहन कार्यालयों में DL एवं RC कार्ड के निर्गत होने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी। फलतः जिला परिवहन कार्यालयों में विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगी एवं लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के अनुपालन में कठिनाई आने लगी।

3.5 जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों/प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा कंपनी को दिनांक-25.07.2014 को प्रधान सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में आहूत समीक्षात्मक बैठक में लंबित स्मार्ट कार्ड एवं अन्य सामग्री की तत्काल आपूर्ति करने एवं इन सामग्री को जिला परिवहन कार्यालयों को अग्रिम आपूर्ति करने का निदेश दिया गया। साथ ही, कंपनी इस निदेश अनुरूप कार्रवाई नहीं करती है तो उन्हें काली सूची में नामित करने एवं सिक्यूरिटी मनी जब्त करने की भी चेतावनी दी गयी।

3.6 विभाग के उपर्युक्त निदेश पर भी कंपनी द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक 3702 दिनांक 03.07.2014, पत्रांक 3830 दिनांक 11.07.2014, पत्रांक 4276 दिनांक 05.08.2014, पत्रांक 5616 दिनांक 13.10.2014, पत्रांक 6333 दिनांक 20.11.2014, पत्रांक 6712 दिनांक 09.12.2014, पत्रांक 501 दिनांक 27.01.2015 द्वारा कंपनी को विभाग की आवश्यकता को प्रेषित करते हुए सामग्री की आपूर्ति करने का निदेश दिया गया एवं समुचित कार्रवाई नहीं करने पर कंपनी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई एवं काली सूची में दर्ज करने की चेतावनी दी गयी। फिर भी कंपनी द्वारा समुचित कार्रवाई नहीं की गयी।

3.7 विभाग द्वारा दिनांक 29.01.2015 को आहूत समीक्षात्मक बैठक में कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि को सभी जिला परिवहन कार्यालय को उनके जरूरत के मुताबिक कार्ड एवं रिबन का बैंक लॉग दिनांक 21.02.2015 तक पूरा करने का निदेश दिया गया। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में इनकी आपूर्ति नियत समय तक करने में सहमति भी व्यक्त की गयी परन्तु कंपनी द्वारा इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हुए पूर्व की भांति कोई आपूर्ति ससमय नहीं की गयी।

3.8 उपर्युक्त स्थिति में मामले के समीक्षोपरांत, सरकार के निदेश के आलोक में, विभागीय पत्रांक 880 दिनांक 18.02.2015 द्वारा कंपनी को एकरारनामा की अवधि समाप्ति के पूर्व बैंक लॉग/लंबित एवं शेष स्मार्ट कार्ड एवं रिबन की आपूर्ति करने का निदेश दिया गया। निदेश का पालन नहीं करने पर कंपनी को काली सूची में दर्ज करने, सिक्यूरिटी मनी को जब्त करने एवं बकाया राशि के भुगतान नहीं करने की चेतावनी दी गयी, परन्तु कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा सहमति देने के बावजूद एकरारनामा समाप्ति की अवधि दिनांक 23.02.2015 तक उपर्युक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

3.9 MOU की कंडिका-5(D)- "The first party may by written order suspend all such payment to the second party here under if the second party fails to perform any of their obligations under the contract provided that such notice of suspension will specified the nature of failour and urge the second party to replace such materials within 5 days of the receipt of such notice of suspension by the second party", एवं कंडिका-5(E)- "The first party may terminate the contract for violation of provision of contract by second party after giving notice of 7 days. For termination of contract on account of violation of provisions of contract, the first party shall be well within its right to forfeit bank guarantee", के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-1343 दिनांक-23.03.2015 द्वारा कंपनी को काली सूची में नामित करते हुए कंपनी द्वारा प्रदत्त बैंक गारंटी की राशि को जब्त (Forefeit) करने एवं बकाया राशि के भुगतान पर रोक लगा दी गयी। साथ ही, संबंधित बैंक को बैंक गारंटी का भुगतान कंपनी को नही करने का निदेश दिया गया।

3.10 उपर्युक्त आदेश की अवहेलना करते हुए कंपनी द्वारा बैंक से अपने बैंक गारंटी की राशि का भुगतान करा लिया गया तथा कंपनी को काली सूची में नामित करने के सरकारी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका CWJC No-11888/15 श्रीवेन इन्फोकॉम लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर की गई।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-11888/15 श्रीवेन इन्फोकॉम लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक-30.10.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा विभागीय पत्रांक-430 दिनांक-27.01.2016 एवं पत्रांक-1231 दिनांक-08.03.2016 द्वारा उक्त कंपनी से पूछे गये स्पष्टीकरण या Show cause के विरुद्ध कंपनी द्वारा समर्पित Reply to Show cause को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए श्रीवेन इन्फोकॉम लिमिटेड हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को काली सूची में नामित किया जाता है एवं जिला परिवहन कार्यालयों में कंपनी के आपूरित सामाग्रियों की बकाया राशि के भुगतान पर रोक लगायी जाती है।

ह0/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, श्रीवेन इन्फोकॉम प्रा0 लि0, 2nd Floor, D No. 1-98/4/B/24, Patrika Nagar, Hitech City, Hyderabad- 500 080 (India) Phone : +91-40-23733651/ प्रबंध निदेशक, श्रीवेन इन्फोकॉम प्रा0 लि0 201, A 2nd Floor, Om Bihar Complex, Near Uma Cinema Hall, Above-Gyan Ganga Book Store, Pirmohani, Kadamkuan, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0, बोरिंग रोड शाखा, पटना/शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0, Commercial Banking Level 1, West Wing 1-11-256, Street No-1, Wall Street Plaza, Begumpet, Hyderabad-500016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पटना/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेली रोड शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

1163

पटना, दिनांक-

8/3/17

प्रतिलिपि : सभी राज्यों के राज्य परिवहन आयुक्त एवं सभी राज्यों के प्रधान सचिव, परिवहन विभाग/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।